ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 59-61

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

इंडो–नेपाल की महिलाओं का कानून के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन

पूजा बिष्ट

शोध अध्येत्री– राजनीति विज्ञान, सोबन सिंह जीना विश्वविघालय, अल्मोडा (उत्तराखण्ड), भारत

Received-11.01.2024, Revised-17.01.2024, Accepted-22.01.2024 E-mail: poojabisht27021995@gmail.com

सारांश: *सृष्टि के सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री और पुरूष दोनों की ही समान सृजनात्मक भूमिका रही है। दोनों ही समान व एक दूसरे के पूरक है। स्त्री ही पुरूष के उत्कर्ष का प्रसार स्तम्भ होती है। सभी देश, काल एंव परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति, योगदान व स्वरूप भी भिन्न रहा है। समय के साथ –साथ समाज मे महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के जंजीरों से जकड़ती चली गई। उसे समाज मे द्वितीय दर्जा दे दिया गया। विश्व जनगणना के अनुसार, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की ही है। अर्थात प्रारंभ से ही विश्व में महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग है, परंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति भारत व नेपाल दोनों ही देशों मे प्रारंभिक काल से ही दयनीय है। वर्तमान में महिला विकास की यात्रा अपनी धीमी गति से चल रही है। जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक तत्वों का समन्वय है। दोनों ही राष्ट्रों ने नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए काफी सारे कानून बनाये है, किंतु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानून की जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। कई बार परिवार व समाज के कारण भी वह कानून का सहारा नही ले पाती है और सहनशीलता का जेवर धारण कर अन्याय को स्वीकार करती हैं।*

कुंजीभूत शब्द– कानून, महिलाओं के अधिकार, संस्कृति, सृजन, मानवीय सभ्यता, सृजनात्मक भूमिका, असमानता, उत्पीड़न।

विश्व में पितृसत्तात्मक समाज से सबंध रखते हुए भी मातृत्व के भावों को भी धारण किए हुए यदि कोई है, तो वह भारत और नेपाल राष्ट्र हैं। विश्व के सभी देश विकसित हो या विकासशील, सभी अपनी राष्ट्र भूमि को पुरूष राष्ट्र के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन भारत और नेपाल अपनी राष्ट्र भूमि को मातृ भूमि के रूप में सम्बोधित करता हैं। यह दोनों ही देश प्राचीन समय से ही माता व मातृ भूमि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसे जीवनदायिनी जननी मानी जाती हैं, जो नव–निर्माण का कार्य करती हैं। समय के साथ मानवीय विचारधाराओं में इतना परिवर्तन आया की महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जिससे वह पुरूष के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अपने अधिकारों को पुरूषों को सौंप कर उनकी आधिनता स्वीकार की। शिक्षा एक मात्र एक ऐसा शस्त्र है जो सभी बेडियों को काट सकता है। उसी शिक्षा से नारी जाति को वंचित कर दिया गया। जिससे वह कभी भी अपने अधिकारो के लिए आवाज न उठा सके। वर्तमान में कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब वहां स्त्री–पुरूष दोनो को समान अधिकार प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन हो व ऐसे कानूनो का निर्माण हो जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे।

आज के समय में महिलाएं शिक्षित तो हो रही है लेकिन अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ है। सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं नहीं पर एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारो के प्रति जागरूक नही है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद उन पर होने वाले अन्याय, बलात्कार, प्रताड़ना, शोषण आदि में कोई कमी नहीं आई है और कई बार तो उन्हे अपने अधिकारो के बारे में जानकारी तक नही होती। जिससे वह स्वयं के लिए आवाज उठा सके।

भारत और नेपाल का संबंध प्राचीन काल से ही है। नेपाल की संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। यहां की वेशभूषा, पकवान, भाषा में काफी समानताएं है। अगर आप किसी भारतीय से पूछे कि विश्व में उसे भारत के अलावा कहां पर घर जैसी अनुभूती होती है तो एक ही उत्तर मिलेगा नेपाल। उसी प्रकार अगर किसी नेपाली से पूछा जाए कि दुनिया में किस देश मे वह आत्मियता महसूस करता है तो निश्चित रूप से वह भारत का नाम लेगा। महिलाओं की स्थिति दोनों ही राष्ट्रों में कुछ समान ही है। धर्म, आस्था और परंपराओं के नाम पर महिलाओं का शोषण व उत्पीड़न ही होता है। संविधान में महिलाओं को भले ही अधिकार प्रदान किए हो या कानूनो का निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी महिलाएं अपने अधिकारों से कोसो दूर ही है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा आदि सब पर कानून दोनों देशों में पारित है, लेकिन फिर भी यह अभी भी प्रचलन में है।

भारतीय महिलाओ के प्रमुख कानूनी अधिकार– भारतीय महिलाओं को सुरक्षा एंव अधिकार देने हेतु कई अधिनियम पारित किये गये है, जो निम्न है :

- राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948.
- दि प्लांटेशनस लेबर अधिनियम 1951.
- परिवार न्यायालय अधिनियम 1954.
- विशेष विवाह अधिनियम 1954.
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955.
- हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 (संशोधन 2005)।
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956.
- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 (संशोधित 1995)।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961.

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

- गर्म का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971
- ठेका क्षमिक (रेग्युलेशन एंड एबोलिशन) अधिनियम 1976
- दि इक्वल रियुनरेशन अधिनियम 1976
- आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983
- कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1986
- इन्डिकेंट रिप्रेसेन्टेशन ऑफ वुमैन एक्ट 1986
- कमीशन ऑफ सती (प्रिवेनशन) एक्ट 1987
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005
- पॉश–द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एक्ट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिविशन एंड रीड्रेसल बेनिफिट एक्ट 2013)
- मैटर्निटी बेनिफिट (एमेंडमेंट) एक्ट 2017

भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अलग–अलग अधिकार मिले है। भारत में लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को 11 अधिकार इस प्रकार है–

1– समान मेहनताना का अधिकार– सैलरी पर या मेहनताने की बात हो, तो लिंग के आधार पर भेदभाव नही कर सकते। किसी कामकाजी महिला को पुरूष के बराबरी में सैलरी लेने का अधिकार है।
2– गरिमा और शालीनता का अधिकार।
3– दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा।
4– घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार।
5– पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार।
6– मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार।
7– रात में महिला को नही कर सकते गिरफ्तार।
8– वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार।
9– अशोभनीय भाषा का नही कर सकते इस्तेमाल।
10– महिला का पीछा नही कर सकते।
11– जीरो एफआईआर का अधिकार।

नेपाल की महिलाओं को मिले कानूनी अधिकार–

1– 1990 के नेपाल साम्राज्य के संविधान में एक गारंटी थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नही किया जाना चाहिए।
2– महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन की पुष्टि 1991।
3– महिलाओं के लिए सम्पत्ति के अधिकारों का पहला स्पष्ट प्रावधान 1975।
4– 2002 में महिलाओं को जन्म से संपत्ति का वारिस करने का अधिकार देने वाला एक विधेयक पारित किया गया जिसमें अन्य प्रावधान भी शामिल थे :–
   - विशेष रूप से एक महिला को कुछ शर्तो के तहत तलाक देने का अधिकार।
   - गर्भपात का वैधीकरण और बलात्कारियो के लिए सजा में वृद्धि।
5– एक बच्चा अपनी मां के नाम पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
6– 2006 में वैवाहिक बलात्कार को गैर कानूनी घोषित कर दिया।
7– 2009 मे दहेज को गैरकानूनी घोषित किया गया।
8– छौपदी (एक सामाजिक कुप्रथा) को गैरकानूनी घोषित किया।
9– घरेलू हिंसा और सजा अधिनियम 2066

आज नेपाल न केवल तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, बल्कि यह गरीबी और भूख, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, लैगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर रहा है। महिलाए अब नेतृत्व की भूमिका निभा रही है और सभी स्तरों पर निर्णय लेने में भाग ले रही है।

कम	स्थिति	भारत	नेपाल
1	पुरूष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर	90.94% 87.33%	78.6% 59.7%
2	घरेलू हिंसा को पुरूष और महिलाएं स्वीकार्य मानते है	44.45%	20-23%
3	महिला श्रम शक्ति	27%	80%
4	कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न	32%	43%
5	महिला तस्करी 18 वर्ष से कम	58%	75%
6	बाल विवाह	49%	60%
7	सरकारी कार्यालय में महिलाओं के लिए कोटा	33%	20%
8	संसद में आरक्षण	33%	33%

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

कानूनी लैंगिक सुधार की दृष्टि से लैंगिक समानता 2022 में 190 देशों में भारत की रैंकिंग 124 व नेपाल की 88वीं थी। इसमें महिलाओं के कार्यक्षेत्र में आठ पैमानों के आधार पर अध्ययन किया गया है। जिसमें भारत की रैंकिंग नेपाल से भी पीछे है, व नेपाल अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है।

निष्कर्ष– कुछ दशकों से स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के लिए सभी राष्ट्रों मे बड़ी संख्या में कानून पारित हुए है, लेकिन इतने कानूनों का सही रूप से पालन होता, तो स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाना था, लेकिन पुरूष प्रधान मानसिकता के चलते व समाज में फैली सदियों की कुरीतियों से यह संभव नही हो सका है। वे कानून और संस्थाएं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकती है। उन पर तत्काल विशेष ध्यान और प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर पहले कार्य करने की जरूरत है, यह महिलाओं के लिए पहली प्राथमिकता है। यदि यह सभी को प्राप्त हो तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक वह स्वंय ही हो जाएगी। एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता है कि दोनों ही स्तम्भों (महिला–पुरूष) को दृढ़ बनाया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पोखरियाल, डॉ रमेश, एक दिन नेपाल में केदारनाथ से पशुपतिनाथ तक, प्रभात प्रकाशन 2018.
2. गाथिया, जोसेफ, एशिया में देह व्यापार दायता का आधुनिक मायाजाल, कान्सेपट प्रकाशन,नई दिल्ली।
3. ई पेपर – जनसत्ता, 6 मार्च 2022.
4. https://www.indiatoday.in/women-rightsindia.
5. https://ndtv.in.
6. https://data.worldbank.org.

*****